2019/00177

एपीपी – ए
फ्राईम I

प्रपत्र संख्या – III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर राज.

भीखे खां वगैरा बनाम अब्दुल मजीद वगैरा
किस्म मुकदमा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 भू.रा.अधिनियम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जद	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
त्रावली आज मिसल तलबी के प्रार्थना पत्र पर तलब की गयी। त्रावली पेश हुयी । वादी की ओर से वकील श्री सिकन्दर घोषी व प्रतिवादी की ओर वकील श्री समदर सिह उपस्थित ने उपस्थित। दीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी का पेश कया जो जिस पर बहस सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन र्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर तिवादी संख्या 02 व 03 का नाम डिलेट किया जाने का आदेश दिया जाता है तथा तिवादी संख्या 08 के रुप में श्रीमती एचली पत्नि प्रतापाराम जाति विश्नोई निवासी लाजीनगर पीलवा एवं प्रतिवादीगण संख्या 09 के रुप में श्रीमती नेमू पत्नि श्री अब्दूल जीद जाति मुसलमान निवासी उग्रास का नाम संयोजित किया जाने का आदेश दिया ाता है वादी अधिवक्ता द्वारा संसोधित वाद शीर्षक पेश किया जो शामिल मिसल कया। पभयपक्षकारान् द्वारा राजीनामा पेश किया वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री नकन्दर घोषी ने की तथा प्रतिवादी की पहचान अधिवक्ता श्री समदर सिंह ने की जीनामा बाद तस्तदीक शामिल मिसल किया। जीमानामा पेश कर बताया की वादीगण के हिस्सा में मूल खसरा संख्या 263 रखा या उक्त खसरा में से वादीगण के हिस्से में कुल 222.10 बीघा भूमि में से गैर मकिन रास्ता की भूमि 4.07 बीघा भूमि को छोडकर शेष 218.03 बीघा भूमि का 1/2 स्सा बंट में रखा गया है जिससे राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में हरे याही से दर्शाया गया है। तिवादी संख्या 01 व 09 के हिस्सा संयुक्त रुप से उपरोक्त खसरान की भूमि में सरा संख्या 263 रखा गया है। उक्त खसरा में वादीगण के हिस्से में कुल रकबा 22.10 बीघा में से गैर मुमकिन रास्ता की भूमि 4.07 बीघा भूमि को छोडकर 218.03 घा में प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से में 1/6 व प्रतिवादी संख्या 09 के हिस्से में /12 हिस्सा नजरी नक्शा में आसमानी स्याही से दर्शाया गया है। तिवादी संख्या 04 के हिस्सा में उपरोक्त खसरान की भूमि में खसरा संख्या 263/2 खा गया है। उक्त खसरा में प्रतिवादीगण संख्या [illegible] के हिस्से में कुल रकबा 222.10 घा में से गैर मुमकिन रास्ता की भूमि 4.07 बीघा भूमि को छोडकर [illegible] 03 बीघा [illegible] गया 1/18 हिस्सा बंट में रखा गया है जिसे राजी[illegible] ।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] (जोधपुर)

वादीगण संख्या 08 के हिस्सा में उपरोक्त खसरा की भूमि में खसरा नम्बर 263/2 गया है। उक्त खसरा मे वादीगण के हिस्से कुल रकबा 222.10 बीघा में से गैर किन रास्ता की भूमि 4.07 बीघा भूमि को छोडकर शेष 218.03 बीघा का 7/36 सा बंट में रखा गया ह जिसे लाल स्याही से दर्शाया गया है।

ीनामा के साथ नजरी नक्शा निर्णय का भाग माना जावें।

ावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया बाद वलोकन वादी का वाद जरीये राजीनामा स्वीकार किया जाता है।

आदेश

ादीगण का वाद जरीये राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम उग्रास के खेत खसरा ंख्या 263/1 रकबा 222.10 बीघा भूमि में से रकबा 04.07 बीघा भूमि राजीनामा के ाथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार गैर मू. रास्ता घोषित कि जाती है। त्पश्चात खसरा संख्या 263 बीघा भूमि के शेष रकबा 218.03 बीघा भूमि में से ादीगण के बंट 1/2 हिस्सा, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 09 के बंट संयुक्त रुप से खसरा संख्या 263 में से प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से 1/6 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या)9 के बंट 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 04 के बंट उपरोक्त खसरान् की भूमि में खसरा संख्या 263/2 रखा जाता है जिसमें 1/18 हिस्सा भूमि रखी जाती है, प्रतिवादी संख्या 08 के बंट उपरोक्त खसरान् की भूमि में खसरा संख्या 263/2 रखा जाता है जिसमें 7/36 हिस्सा भूमि रखी जाती है। राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में दर्ज करें। माफिक आदेश डिकी पर्चा अलग से मूर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/1/20 को सरे इजलास सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
फलौदी

सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी

बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)

वादीगण	प्रतिवादी
भीखे खां पुत्र नसीर मोहम्मद रहमल अली उर्फ रहमतुल्ला पुत्र नसीर मोहम्मद श्रीमती मेरी पत्नि नसीर मोहम्मद सभी जाति मुसलमान निवासी ग्राम उग्रास तहसील फलौदी	1. अब्दूल मजीद पुत्र हकीम खां 2. अलीखां पुत्र हकीम खां (डिलिट) 3. श्रीमती इनायतो पत्नि हकीम खां 4. श्रमती पंखिया पत्नि गणपतराम 5. शाखा प्रबंधक स्टेट बैक आफ इंडिया शाखा फलौदी 6. शाखा प्रबंधक आई सी आई सी आई शाखा फलौदी 7. तहसीलदार फलौदी 8. श्रीमती एलची पत्नि प्रतापाराम जाति विश्नोई निवासी बालाजीनगर पीलवा 9. श्रीमती नेमु पत्नि श्री अब्दूल मजीद जाति मुसलमान निवासी उग्रास

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम

संख्या 98/2019

ुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे व हाजिर श्री सिकन्दर घोषि अधिवक्ता मुदई व श्री र सिंह अधिवक्ता मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादीगण का वाद जरीये राजीनामा ार किया जाकर ग्राम उग्रास के खेत खसरा संख्या 263/1 रकबा 222.10 बीघा भूमि में से रकबा 04. ीघा भूमि राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार गैर मू. रास्ता घोषित कि जाती है। श्चात खसरा संख्या 263 बीघा भूमि के शेष रकबा 218.03 बीघा भूमि में से वादीगण के बंट 1/2 ा, प्रतिवादीगण संख्या 01 व 09 के बंट संयुक्त रुप से खसरा संख्या 263 में से प्रतिवादी संख्या 01 के 1/6 हिस्सा, व प्रतिवादी संख्या 09 के बंट 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सख्या 04 के बंट उपरोक्त ान् की भूमि में खसरा संख्या 263/2 रखा जाता है जिसमें 1/18 हिस्सा भूमि रखी जाती है, दी संख्या 08 के बंट उपरोक्त खसरान् की भूमि में खसरा संख्या 263/2 रखा जाता है जिसमें ३ हिस्सा भूमि रखी जाती है। राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। रहन वष्टि यथावत रहेगी। तहसीलदार फलौदी को आदेश दिया जाता है की माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड ि करें।

ओहदा [signature] सहायक कलक्टर

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
दावा स्टाम्प वकालतनामा वजह सबूत नामा वकील गवाहान कमीश्नर इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का ... डिगरी के ... गया हो न तो ...या जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.09.15 12:27:34 IST
Reason: SelfAttested